6
16
राधे...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0401/2021 तारीख रजू:— 24.11.2021
पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह
R.A.S.

कविता पत्नि रिंकू जाति गुर्जर निवासी सलेमपुर थाना, तहसील महवा जिला दौसा राजस्थान ———————————————— सायला

बनाम

1.	सुफेदी पत्नि रम्भू		जाति गुर्जर निवासी नाहिडा तहसील महवा
2.	रम्भू पुत्र जगन		
3.	अमोल	पिसरान रम्भू	जिला दौसा राजस्थान
4.	अनूपसिंह		
5.	भूरसिंह		———————— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट सायला
2. श्री देवीसिंह गुर्जर एडवोकेट गैरसायलान

निर्णय दिनांक :— 22-11-2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय में गैरसायलान के विरूद्ध पेश कर दिया है, जो काफी मजबूत है, जिसमें सायला को सफलता मिलने की पूरी पूरी आशा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 259/3 रकबा 0.1925 है0, 260 रकबा 0.35 है0, 261 रकबा 0.07 है0, 262/2745 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7125 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है तथा सायलान ने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपने उक्त चारों खसरा नम्बरों का मौके पर एक ही चक बना रखा है, बीच में कोई डोलमेंढ नहीं है। इसलिए प्रथमदृष्टया केस सायला का बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सायला की उक्त खातेदारी की भूमि के दक्षिण दिशा में गैरसायल सं01 की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 262 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम घौंसला स्थित है तथा दोनों की भूमियों की मेंढ मिली हुई हैं तथा गैरसायलान लठैत व झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं तथा गैरसायलान अपने खातेदारी की भूमि से अधिक भूमि पर सायला की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका गैरसायलान को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 15.11.2021 को सुबह 9 बजे का है कि सायला अपनी उक्त खातेदारी की भूमि की साल संभाल कर रही थी तो मौके पर गैरसायलान आ गये तथा सायला से कहा कि ये तुम्हारी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 262/2745 रकबा 0.10 है0 में से आयी भूमि पर डण्डा कर पक्का निर्माण कर तुम्हें बेदखल करूंगा तब सायला ने कहा कि आपको हमारी खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने का क्या अधिकार है तब प्रतिवादीगण गैरसायलान ने कहा कि हमारा लट्ठ का जोर है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते तथा हमारी मर्जी होगी वहॉ होकर निर्माण करेंगे तथा तुम्हें बेदखल करेंगे तब सायलान ने उक्त बात अपने पति से कही तो सायला के पति ने गैरसायलान से कहा कि तुम तुम्हारी खातेदारी की भूमि की हल्का पटवारी से नाप करवा लो तथा तुम्हारी 33 एयर भूमि से ज्यादा पर आपको हमारी खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने का क्या अधिकार है तब गैरसायलान ने सायला व सायला के पति से कहा कि हमें तो तुम्हारी खातेदारी की भूमि में से 5 एयर जमीन पर अतिक्रमण करना है तब सायला ने गैरसायलान से काफी हाथ जोडकर अनुनय विनय की कि आप हमें बेवजह परेशान मत करो लेकिन गैरसायलान ने सायला की एक भी नहीं सुनी तथा सायला की खातेदारी की भूमि में से 5 एयर भूमि पर अतिक्रमण करने की धमकी दी। यदि गैरसायलान अपने नापाक इरादे में

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सफल हो गये तो सायला का दावा पेश करने का मकसद बेसूद हो जावेगा तथा अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायलान ने सायला की उक्त खातेदारी की भूमि में करीब 5 एयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया तो पक्षकारान में मुकदमेबाजी बढेगी तथा पक्षकारान बर्बाद हो जायेगें, जिसकी पूर्ति दृव्य में भी सम्भव नहीं है। इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञाा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायला का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द नहीं किये जाने में सायला को अकथनीय क्षति है, जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार से होना सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि सायला के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 259/3 रकबा 0.1925 है0, 260 रकबा 0.35 है0, 261 रकबा 0.07 है0, 262/2745 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7125 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन के कब्जे काश्त व खातेदारी उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा सायलान की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में सायला की खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण नहीं करें तथा सायला की भूमि पर जबरन अतिक्रमण नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायला के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे हक तलफी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01में सायला द्वारा कतई गलत एवं झूंठा दावा गैरसायलान के विरूद्ध पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें उसे सफलता का कोई चान्स नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में आराजीयात का स्थित होना स्वीकार है। सायला ने चारों नम्बरों का एक चक नहीं बना रखा है बल्कि खसरा नम्बर 260 में करीब 0.20 है0 भूमि को 5 साल पूर्व एस्सार कम्पनी को पेट्रोल पम्प के लिए 45000/–रूपये किराये पर दे रखा है। जिसमें मौके पर एस्सार कम्पनी का पेट्रोल पम्प लगा हुआ है, जो चालू अवस्था में है तथा इस प्रकार से सायला ने बदयांति से गैरसायल नं01 व उसके परिवारजन को परेशान करने के लिए तथ्यों को छिपाते हुए झूंठे तथ्य लिखकर दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। सायला का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है बल्कि गैरसायलान का प्राईमाफेसी केस साबित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादीया की खातेदारी की भूमि से दक्षिण दिशा की ओर गैरसायल सं01 की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि स्थित होना स्वीकार है, जिसमें गैरसायल सं01 ने वर्तमान में बैशाख की फसल में सरसों की फसल काश्त कर रखी है। सायला व गैरसायल सं01 की दक्षिण दिशा की तरफ डौल मेंढ में हिण्डौन महवा रोड से पश्चिम से पूर्व दिशा में आधी सम्पूर्ण शामलाती डौल में गैरसायल सं01 की तन्हाई व वृद्धापन के कारण पुख्ता डौल का निर्माण कर लिया है तथा शेष आधी डौल में पश्चिम से पूर्व की ओर 10–12 पांच फिट लम्बाई के पत्थर गाढकर तारबन्दी अपनी मर्जी से कर ली है। सायला ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 262/2745 रकबा 0.10 है0 भूमि में एक पुख्ता दुकान बना रखी है, जिसमें लोहे की शटर लगा रखी है तथा इस दुकान के पीछे एक पुख्ता होटल का निर्माण कर रही है। जिसका निर्माण तांतेबन्दी तक हो चुका है। गैरसायल सं01 वृद्ध महिला है, उसके पति गैरसायल सं02 भी वृद्ध व्यक्ति हैं तथा गैरसायल सं03 भारतीय सेना में नौकरी करता है, जो देश की सीमाओं पर ड्यूटी अंजाम दे रहा है और गैरसायल सं04

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हर दिल्ली में मजदूरी व कृषि कार्य करता है। गैरसायल सं05 बाहर रहकर जदूरी व कृषि कार्य करता है। इस प्रकार सायला गैरसायल सं01 के वृद्धपन का ायदा उठाकर उसकी उक्त खातेदारी की भूमि को लटठ के बल पर छीनना ाहती है। गैरसायलान शान्तिप्रिय आदमी हैं जबकि सायला नौजवान है, जिसके ति भी नौजवान है, जिसके परिवार में 3–4 रिटायर्ड कर्मचारी है, जो लट्ठ वाले झगडालू किस्म के आदमी है। जो गैरसायल सं01 व उसके परिवारजन के विरूद्ध झूंठे मुकदमा करके सायला कब्जा कर बेदखल करना चाहती है। दावा व ार्थना पत्र हाजा डिफेक्टिव तथ्यों के आधार पर पेश होने से खारिज होने योग्य ै। सुविधा का सन्तुलन सायला के पक्ष में ना होकर गैरसायलान के पक्ष में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 कतई गलत व गैरकानूनी होने से अस्वीकार है। सायला से दिनांक 15.11.2021को सुबह 9 बजे या अन्य किसी भी दिन कोई बातचीत नहीं हुई। सायला ने प्रार्थना पत्र के मद नं02 में अपनी खातेदारी के खेतों की डौल मेंढ को तोडकर एक चक बना हुआ लिखा है। तब गैरसायल सं01 व उसके परिवारजन अन्य गैरसायलान का खसरा नम्बर 262/2745 रकबा 0.10 है0 में से आधी भूमि पर कब्जा करने वाली बात स्वतः ही झूंठी हो जाती है तथा सायला ने अपनी खातेदारी की भूमि में पुख्ता दुकान व दुकान के पीछे होटल निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है। सायला ने अपने युवापन के जोश में व उसके परिवार जन लठैत व बाहुबली के कारण गैरसायलान के विरूद्ध कतई गलत तथ्य लिखकर गैरसायला सं01 की खातेदारी की भूमि को हडपना चाहती है। जो सायला द्वारा दर्ज झूंठे तथ्यों से भली भाँति साबित है। सायला ने इस मद में कतई काल्पनिक व झूंठे तथ्य लिखकर गैरसायलान के विरूद्ध पेश किये हैं जो हर आयने खारिज होने योग्य है। शेष तथ्य अतिरिक्त कथन में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 कतई गलत व मनगढन्त लिखा होने के कारण अस्वीकार है। सायला ने इस मद में उसकी 5 एयर भूमि को गैरसायलान द्वारा अतिकमण करने वाली बात

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

क्यों लिखी है। इसका स्पष्ट कारण नहीं लिखा है। जिस भूमि को विवादित बताकर दावा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश किये हैं, उसकी डौल मेंढ वादिया ने तोडकर एक चक बनाना दावे में लिख है, जिससे साफ जाहिर है कि सायला ने दावा व प्रार्थना पत्र हाजा के विरूद्ध झूंठा किया है। सायला अपने झूंठे दावे व प्रार्थना पत्र की आड में गैरसायल सं01 की वेश कीमती भूमि से बेदखल कर दिया तो गैरसायला सं01 को भारी क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रार्थना पत्र सायला खारिज कर सायला की बेजा हरकत के लिए उसको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 कतई गलत लिखा होने से अस्वीकार है। सायला का कोई प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है। सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में नहीं है। बल्कि प्राईमाफेसी केस गैरसायलान के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान को कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतिरिक्तं कथन :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में गैरसायलान के विरूद्ध कोई कॉज ऑफ एक्शन किसी प्रकार का नहीं लिखा है और सायला ने कोई घटना का हवाला नहीं दिया है। इस कारण प्रार्थना पत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन के खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायला ने उसकी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 260 के रकबा 0.20 है0 भूमि को ऐस्सार पेट्रोल पम्प को किराये पर दे रखी है, जो वर्तमान में चालू हालत में है तथा खसरा नम्बर 262/2745 रकबा 0.10 है0 भूमि में एक पुख्ता दुकान बना रखी है, जिसमें लोहे की शटर लगा रखी है। इस दुकान के पीछे होटल का निर्माण कार्य कर तांतेबन्दी तक बना लिया है। सायला ने स्वंय अपनी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दिया है तथा सायला ने गैरसायल सं01 की खातेदारी की शामलाती आधी डौल में दक्षिण दिशा की तरफ सम्पूर्ण डौल में पुख्ता बाउण्ड्री बाल अपनी मर्जी से कर दी है और उसकी आगे आधी डौल में पांच फिट लम्बाई में पत्थर गाढकर तारबन्दी कर दी है। उसके बाद गैरसायलान द्वारा सायला के उक्त विवादित भूमि में से 0.05 है0 जमीन लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायला ने अपनी खातेदारी की भूमि के खसरा नम्बर 262/2745 रकबा 0.10 है0 व खसरा नम्बर 260 में से रकबा 0.20 है0 भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को होने से प्रार्थना पत्र सायला खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है गैरसायला सं01 ने वर्तमान में अपनी खातेदारी के खेत में बैशाख की फसल में सरसों की फसल काश्त कर रखी है, जो कि सरसब्ज हालत में खडी हुयी है। जिससे सायला का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैरसायला सं01 व गैरसायल सं02 वृद्ध आदमी हैं, जिनके लडका गैरसायल सं03 भारतीय सेना में देश की सीमाओं पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देता है और गैरसायल सं04 बाहर दिल्ली में मजदूरी व कृषि कार्य करता है। गैरसायल सं05 बाहर मजदूरी व हवाई अड्डों पर काम करते हैं। जिनका सायला की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 262/2745 में अतिक्रमण कर 5 एयर भूमि पर कब्जे वाली बात कतई गलत व झूंठी हो जाती है।

कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायला कानूनन मेन्टेनेविल नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। गैरसायलान सायला हर्जा खास प्राप्त करने का हकदार है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 किता'–2, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस किता 2, पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति न जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। ल सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का ा पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील ायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का ा पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध र्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजीयात खसरा 259/3 रकबा 0.1925 है0, 260 रकबा 0.35 है0, 261 रकबा 0.07 है0, /2745 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7125 है0 वाके ग्राम ला तहसील हिण्डौन की खातेदारी कविता गुर्जर पत्नि रिंकू हिस्सा पूर्ण जाति निवासी सलेमपुर थाना तहसील महवा खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित जी खसरा नम्बर 262 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन ातेदारी सुफेदी पत्नि रम्भू हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 नाहिडा खातेदार के दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात T नम्बर 259/3 रकबा 0.1925 है0, 260 रकबा 0.35 है0, 261 रकबा 0.07 262/2745 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7125 है0 वाके ग्राम ला तहसील हिण्डौन की सायला खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायलान ोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। गैरसायलान ने ऐसा भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि ान ने उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित कर लिया हो और अकृषि होने के कारण इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हो। सायला के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत जमाबन्दी सम्बत् 2073–76 के

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अवलोकन से उक्त विवादित आराजीयात कृषि भूमि है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में यदि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो इससे सायला के कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। जबकि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचने की कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है। इसलिए गैरसायलान जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। सायला का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान आराजीयात हाल खसरा नम्बर 259/3 रकबा 0.1925 है0, 260 रकबा 0.35 है0, 261 रकबा 0.07 है0, 262/2745 रकबा 0.10 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.7125 है0 वाके ग्राम घौंसला तहसील हिण्डौन में सायला के कब्जे काश्त व खातेदारी उपयोग उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें न ही किसी अन्य से करावें तथा सायला की उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में सायला की खातेदारी की भूमि में अतिक्रमण कर पक्का निर्माण नहीं करें तथा सायला की भूमि पर जबरन अतिक्रमण नहीं करें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें जिससे सायला के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे एवं हक तलफी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 22-4-2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)